न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 33/2023—24 तारीख दायर :—18.10..2023 दिनांक निर्णय :—07.12.2023

पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

मांग्या लाल पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम—1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि फ्टवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्व ग्राम वीरपुर के आराजी खसरा नम्बर 824/820 रकबा 7.699 हैक्ट0 बारानी—2 सिवायचक के भाग 0.65 हैक्ट0 पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने पर मांग्या लाल पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त हुई। नियत सुनवाई तारीख को गैरसायल/अप्राथी उपस्थित रहा। गैरसायल द्वारा नोटिस जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस जवाब में अप्रार्थी द्वारा स्वंय का अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है जिसे नियमन/रेगुलाईज किये जाने का निवेदन किया है। जिसके सम्बंध में अप्रार्थी कोई समय दिये जाने के बावजूद कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गये है जिसे नियमानुसार राजकीय सिवायचक भूमि का नियमन/रेगुलाईज नहीं किया जा सकता है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबडा व पटवारी हल्का बीघोता की रिपोर्ट सम्वत 2080 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:—

अतिक्रमी मांग्या लाल पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ जिला अलवर वाके ग्राम वीरपुर के आराजी खसरा नम्बर 824/820 रकबा 7.699 हैक्ट0 बारानी—2 सिवायचक के भाग 0.65 हैक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 245.00/—रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 07.12..2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 44 पर सि.च. 245/—
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप